क्यू/सीएडी/798/01/2016

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

संवर्ग प्रकोष्ठ

***

चौथी मंजिल, जेएन भवन,

जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 08, अप्रैल 2016

<u>परिपत्र</u>

विषय: प्रारूप भर्ती नियमों पर टिप्पणियाँ

विदेश मंत्रालय नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित भर्ती नियमावली (आरआर) तैयार करने का प्रस्ताव करता है। प्रारूप भर्ती नियम (आरआर) तदनुसार तैयार किए गए हैं और इसके साथ संलग्न हैं।

(क) प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन आधार पर, अनुभाग अधिकारी और सहायक के पद के लिए भर्ती नियम।

(ख) विदेशी मंत्रालय में अताशे (साइबर सुरक्षा) के पद के लिए भर्ती नियम।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचित मॉडल आरआर के आधार पर स्टाफ कार चालक के पद के लिए भर्ती नियमों की पुन:अधिसूचना।

2. तदनुसार, सभी हितधारकों अर्थात मंत्रालयों/विभागों, सेवा संगमों और व्यष्टि अधिकारीगण भर्ती नियमों पर अपनी टिप्पणियां 11 मई, 2015 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टिप्पणियाँ uscadre@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी भेजी जा सकती हैं।

ह/-

(विप्रा पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 4901 5368

फैक्स: 4901 5469

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2015

सा.का.नि.__________ राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश मंत्रालय में (1) स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) (2) स्टाफ कार चालक ग्रेड-II (3) स्टाफ कार चालक ग्रेड-I (4) स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद के लिए भर्ती की पद्‌धतियों को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** इन नियमों का नाम विदेश मंत्रालय (1) स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) (2) स्टाफ कार चालक ग्रेड-II (3) स्टाफ कार चालक ग्रेड-I (4) स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रसारः-** ये नियम इनके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम में (1) उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती की पद्‌धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः-** उक्त पदों भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और उन से संबंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) से (11) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. **निरर्हताएं**:- वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह संविदा की है,

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की है, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

6. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा या अर्हताओं को अभिशासित करने वाले उपबंधों के अलावा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्तिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हो।

स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	उन्तीस (29) *(2015) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड I , रु. 5200-20200, रु. 1900 का ग्रेड वेतन अतिरिक्त	लागू नहीं	18 और 25* वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट।) **नोट:** आयु सीमा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिलों एवं	**अनिवार्य:** i) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना; ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में मामूली-विकारों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण **वांछनीय:**

					चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। *यदि सीधी भर्ती प्रत्यक्ष खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	होमगार्ड नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **नोट:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिल की जा सकती है।

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: विदेश मंत्रालय में वेतन बैंड 1 - रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 1800/- में नियमित आधार पर कार्यरत डिस्पैच राइडर और समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किसी ड्राइविंग परीक्षा के आधार पर	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) में शामिल होते हैं:- (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा सदस्य	लागू नहीं

			मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों, जिनके नहीं होने पर, केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन बैंड 1 - रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 1800 में डिस्पैच राइडर के पद पर नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या समूह 'ग' के नियमित कर्मचारियों से जिनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में उपबंध की गई अर्हताएं और अनुभव है। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जिनका सेवानिवृति के चलते या एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित करने के लिए स्थांतरण किया जाना है और अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हता रखते हैं, पर भी विचार किया	नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव	

			जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर रखा जाएगा; इसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर बनाए रखा जा सकेगा। **नोट 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को 01.01.2006, वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित वेतन को बढ़ाया गया है, इसे ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड I, रु. 5200-20200, रु. 1900 का ग्रेड वेतन अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	प्रोन्नति	प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु 2400 में ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा या स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह साल की संयुक्त सेवा; और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।	पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य	लागू नहीं

1.	पद का नाम	
2.	पद की संख्या	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड I रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2800
5.	चयन पद है या अचयन पद	अचयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु 2400 में ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा या

		स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह साल की संयुक्त सेवा; और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।
12.	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य
13.	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक ग्रेड-I के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. स्टाफ कार चालक ग्रेड-I	चौंतीस (34)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड I रु. 5200-20200, रु. 2800 का ग्रेड वेतन अतिरिक्त	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	प्रोन्नति	प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु 2400 में ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा या स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह साल की संयुक्त सेवा; और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) में शामिल होते हैं; (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य	लागू नहीं

		नोट 1: "जब अपनी अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा करने वाले कनिष्ठों की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, तब उनके वरिष्ठों के लिए भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं हो और ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा को पहले से ही पूरा चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **नोट 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की		

		गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को 01.01.2006, वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित वेतन को बढ़ाया गया है, वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बढ़ाये तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।		

स्टाफ कार चालक ग्रेड-I के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	स्टाफ कार चालक ग्रेड-I
2.	पद की संख्या	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड I रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2800
5.	चयन पद है या अचयन पद	अचयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के	प्रोन्नति:

	जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 और ग्रेड वेतन रु 2400 में ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा या स्टाफ कार चालक ग्रेड-II और स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) में पंद्रह साल की संयुक्त सेवा; और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।
12.	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- (1) .... अध्यक्ष (2) .... सदस्य (3) .... सदस्य
13.	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक ग्रेड-II के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	उन्तीस (29)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड I रु. 5200-20200, रु. 2800 का ग्रेड वेतन अतिरिक्त	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	प्रोन्नति	प्रोन्नतिः स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) वेतन बैंड I रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 1900 में, ग्रेड में 9 वर्षों की नियमित सेवा और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो। **नोट 1:** "जब अपनी अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा करने वाले कनिष्ठों की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, तब उनके वरिष्ठों के लिए भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) में शामिल होते हैं; (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य	आवश्यक नहीं

		अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं हो और ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा को पहले से ही पूरा चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **नोट 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को 01.01.2006, वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित वेतन को बढ़ाया गया है, इसे ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।		

स्टाफ कार चालक ग्रेड-II के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	स्टाफ कार चालक ग्रेड- II
2.	पद की संख्या	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड I रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2400
5.	चयन पद है या अचयन पद	अचयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के	प्रोन्नतिः

	जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) वेतन बैंड I रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 1900 में, ग्रेड में 9 वर्षों की नियमित सेवा और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।
12.	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य
13.	ऐसी परिस्थतियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	पांच (5)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन बैंड 2, रु. 9300-34800, रु. 4200 का ग्रेड वेतन अतिरिक्त	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 2800 में, ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा **नोट 1:** "जब अपनी अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा करने वाले कनिष्ठों की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, तब उनके वरिष्ठों के लिए भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) में शामिल होते हैं; (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य	लागू नहीं

		आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम नहीं हो और ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा को पहले से ही पूरा चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **नोट 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्‌वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को 01.01.2006, वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित वेतन को बढ़ाया गया है, इसे ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।		

स्टाफ कार चालक ग्रेड-II के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)
2.	पद की संख्या	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन बैंड 2 रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200
5.	चयन पद है या अचयन पद	अचयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता का प्रोन्नति के मामले में लागू होना	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन, के	प्रोन्नति:

	जरिए भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	स्टाफ कार चालक ग्रेड-II वेतन बैंड I रु 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 2800 में, ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा
12.	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- (1) निदेशक (प्रशासन), अध्यक्ष (2) अवर सचिव (संवर्ग), सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अवर सचिव सदस्य पुष्टि पर विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समितिः- उपरोक्त अनुसार
13.	ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	आवश्यक नहीं